Michaelte of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 603] No. 603] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 29, 2010/कार्तिक 7, 1932

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2010/KARTIKA 7, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2010

सा.का.नि. 867(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 621 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अभियोजन फाइल करने और उसके संचालन के प्रयोजनों के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- 1. श्री ओंकार नाथ तिवारी, अभियोजक-II
- 2. श्री राजेश शर्मा, सहायक निदेशक
- श्री उत्पल नाथ, सहायक निदेशक

[फा. सं. 3/5/2004-सीएल. V] रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2010

G.S.R. 867(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 621 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises the following officers in the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, for the purposes of filing and conducting prosecution under the Companies Act, 1956, namely:—

- 1. Shri Onkar Nath Tiwari, Prosecutor-II
- 2. Shri Rajesh Sharma, Assistant Director
- 3. Shri Utpal Nath, Assistant Director

[F. No. 3/5/2004-CL. V] RENUKA KUMAR, Jt. Secy.